समक्ष :माननीय राजस्व मंडल म0प्र0 ग्वालियर

प्र0क0 /2014 निगरानी निगरानी 4217-I-14

रामभरोसे दीक्षित पुत्र श्री जगन्नाथ निवासी गहबरा तहसील गौरिहार जिला छतरपुर म.प्र. ।

.............आवेदक

विरूद्ध

रमेश पुत्र श्री बेटू अहिरवार निवासी हिनोती तहसील गौरिहार जिला छतरपुर म0प्र0 ।

..........अनावेदकगण

श्री सुनील सिंह जादोन अभि0 द्वारा आज दि. 17/12/14 प्रस्तुत

क्लर्क ऑफ कोर्ट 17/12/14
राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

निगरानी विरूद्ध आदेश 24.9.2014 पारित द्वारा तहसीलदार गौरिहार जिला छतरपुर म.प्र. अधीन प्रकरण क 99/अ-12/13-14 , अतर्गत धारा 50 म0प्र0 भू-राज्य सहिता 1959।

माननीय महोदय ,

सेवा मे निगरानीकर्ता की ओर से निगरानी निम्न प्रकार है :--

प्रकरण के प्रारम्भिक तथ्य --:

1. यहकि निगरानीकर्ता की ग्राम गहबरा तहसील गौरिहार जिला छतरपुर स्थिति भूमि सर्वे न0 716/2 का भूमि स्वामी एवं आधिपत्यधारी कृषक है। प्रतिनिगरानीकर्ता द्वारा उक्त भूमि सर्वे क 715 , 716/2रकवा क 0.518 , 0.328 है0 मोजा गहवरा की भूमि का सीमाकन किये जाने हेतु आवेदन पत्र दिया। इस प्रकार निगरानीकर्ता एवं प्रतिनिगरानीकर्ता दोनो ही एक दुसरे के मेडिया कृषक है।
2. यहकि, प्रतिनिगरानीकर्ता ने अधीनरथ न्यायालय के समक्ष जो सीमाकन किये जाने वावत आवेदन पत्र दिया जिस पर अन्य लोगो को सूचना पत्र जारी किये किये परन्तु आवेदक को कोई सूचना पत्र जारी नही किया एंव जो पंचनामा दिनांक 18.7.2014 को तैयार किया उस पंचनामा में आवेदक के कही हस्ताक्षर अंकित नही हैं एंव नोटिस भी आवेदक को नही भेजा गया है जिस स्थल पंचनामा की प्रति अनेक्चर पी--1 है।

4. यहकि, हल्का पटवारी एंव पटवारी हल्का द्वारा सिर्फ अनावेदक की उपस्थिति मे ही सीमांकन की कार्यवाही की गई है जवकि आवेदक को कोई सूचना पत्र जारी नही किया गया एवं नाही कोई नोटिस तामील की

(40)

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश–ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक निगरानी 4217–एक / 2014 जिला छतरपुर

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
12–03–15	आवेदक अधिवक्ता श्री सुनीलसिंह जादौन उपस्थित । उन्होनें उपस्थित होकर निवेदन कर बताया कि वे प्रकरण को आगे नहीं चलाना चाहते हैं इसलिये प्रकरण नॉटप्रेस में समाप्त कर दिया जावे । प्रकरण आवेदक के निवेदन पर नॉटप्रेस में समाप्त किया जाता है । **प्रशासकीय सदस्य**	